न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या 16/2019

उनवान

1 श्री बदाम देवी पत्नी श्री शंकर लाल खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
—प्रार्थी

बनाम

1 देवी पूत्र श्री मेघा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2 घीसा पूत्र श्री मेघा खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3 शंकर लाल आत्मज श्री घीसू लाल खटीक निवासी मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 28.05.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 11.03.19 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी नम्बर 2917 रकबा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के ध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। सलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया ाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.03.2019 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के धिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 04 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के परान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना त्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध कार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते ो खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार भिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व र्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन र्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ में उसके खाते कृषि भूमि आराजी नम्बर 2917 रकबा 15 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 100/— पक्षकार ो राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार ारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल र होकर दाखिल दफतर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner